

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर  
परिवाद संख्या 55/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री राहुल देवांगन पुत्र श्री रामगुलाम प्रसाद सिंह, मैसर्स रिलायन्स फ्रेश, नसीराबाद रोड़, अजमेर
2. श्री अमन गुप्ता (नोमिनी) पुत्र श्री विष्णु कुमार गुप्ता, निवासी डी-77, अम्बाबाड़ी, जयपुर मैसर्स रिलायन्स फ्रेश, नसीराबाद रोड़, अजमेर (रिलायन्स रिटेल लिमिटेड)
3. मैसर्स रिलायन्स फ्रेश, नसीराबाद रोड़, अजमेर
4. श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक (नोमिनी) मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड C/o लक्ष्मी एजेन्सी, रोड़ नं0 16, ई-344, डी0वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर
5. मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड C/o लक्ष्मी एजेन्सी, रोड़ नं0 16, ई-344, डी0वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर

.....अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा  
26 की उप धारा (2) (11) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित :

- 1- श्री के0जी0 खत्री, वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से।
- 2- श्री अखिलेश गर्ग, वकील अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से।
- 3- श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक (नोमिनी) मै0 नेस्ले इण्डिया

:- आदेश :-

दिनांक- 05.02.2020

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्रान्डेड एवं सबस्टेण्डर्ड Macaroni (Pasta) (Proprietary Food brand Maggi) का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.08.2015 को 01.00 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मैसर्स रिलायन्स फ्रेश, नसीराबाद रोड़, अजमेर पर पहुँचे श्री राहुल देवांगन पुत्र श्री रामगुलाम प्रसाद सिंह मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को Macaroni (Pasta) (Proprietary Food brand Maggi) का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान में 64-64 ग्राम के 44 पैक पैकेट Brand Name Maggi के आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। इनमें मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर उनमें से 64-64 ग्राम के 32 पैक पैकेट नमूना जॉच हेतु खरीदे एवं राशि रूपये 736/- रूपयें श्री राहुल देवांगन पुत्र श्री रामगुलाम प्रसाद सिंह को नगद देकर गवाहान के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री राहुल देवांगन पुत्र श्री रामगुलाम प्रसाद सिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने के पश्चात खरीदशुदा Macaroni (Pasta) (Proprietary Food brand Maggi) के 64-64 ग्राम के 32 पैक पैकेट में से 8-8 पैकेट को धागे से बांधकर चार नमूने पैकेट बनाये व तैयार किये गये लेबल में से एक-एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर गोंद से चिपकाया। चारों नमूना पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज में लपेटकर किनारों को गोंद से चिपकाकर डीओ के कोड क्रमांक ए-1078 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधा एवं सील चपड़ी लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप से होते हुए रेपर पेपर तक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लिया एवं कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा माणक प्रयोगशाला, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/9186 दिनांक 08.08.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/504/एक्ट/2015/511 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वारंते जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Macaroni (Pasta) (Proprietary Food brand Maggi) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम



न्याय निर्णयक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

2011 की धारा 3(1)(zI)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अवमानक (Substandard) होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान हेतु मैसर्स रिलायन्स फ्रेश, नसीराबाद रोड़, अजमेर से पत्रांक 283 दिनांक 07.08.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि० पत्र एवं क्रय बिल की प्रति चाही गई। फर्म द्वारा प्रस्तुत खाद्य रजि० पत्र रजि० नंबर 08162111039, अनुज्ञा पत्र नं० 12212009000002 एवं क्रय बिल दिनांक 14.05.2015 की छायाप्रति पेश की गई। Nestle India Limited C/o M/s Laxmi Agencies, E - 168 Road No. 9J VKI Area, Jaipur 302013 से खाद्य अनुज्ञा पत्र, डायरेक्टर, नोमिनी आई.डी., पार्टनर व वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन की प्रति चाही गई। उन्होंने प्रतिउत्तर में नोमिनी फॉर्म नं० 9, खाद्य अनुज्ञा पत्र सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जिसमें श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक (नोमिनी) Nestle India Limited C/o M/s Laxmi Agencies, E - 168 Road No. 9J VKI Area, Jaipur 302013 का होना पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी/प्रार्थी वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए एवं जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। उनके द्वारा निर्मित व विक्रित खाद्य पदार्थ मैकरोनी (पास्ता) (मैगी) निर्देशित मानकों के अनुसार ही बनाया गया है तथा खाद्य विश्लेशक की रिपोर्ट में मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड होने के आरोप मिथ्या है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(2) के समस्त खण्डों और इसके अधीन बनाये गये नियमों विनियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः उनको आरोप मुक्त किया जाकर प्रकरण निरस्त किया जावे अथवा विकल्प में शून्य जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप फरमाया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 के Regulation 2.4.10 (1), 2.4.10, 3.1.2 प्रस्तुत किये। उन्होंने आगे कथन किया कि खाद्य विश्लेशक ने उनके खाद्य पदार्थ मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर को अवमानक माना है जबकि मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर निजस्वमूलक खाद्य पदार्थ है एवं अवमानक नहीं है। विनियम 2011 के अनुसार मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर के कोई मानक निर्धारित नहीं है। यह निजस्वमूलक खाद्य के रूप में वर्गीकृत है। नियम 2.12.1 के अनुसार वह खाद्य जिसका मानक विनिर्दिष्ट नहीं है, निजस्वमूलक खाद्य है। मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर एक Proprietary Food है जिसके लिये इन विनियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है।

वकील अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का आगे कथन है कि खाद्य विश्लेशक ने हमारे उत्पाद मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर को मिसब्राण्डेड उत्पाद मानकर रिपोर्ट दी है जबकि यह तथ्य सही नहीं है। पास्ता खाद्य उत्पाद विनियम 2011 के विनियम 2.4.10(1) के अनुसार मैदा अथवा सूजी से निर्मित वे



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

पदार्थ होते हैं जो अन्य खाद्य पदार्थों जैसे आटा, सूजी, सोया आटा, दूध पाउडर, मसाला, विटामिन मिनरल्स आदि के साथ मिश्रित करके अथवा बिना मिश्रित किये तैयार किये जाते हैं। विनियम 2.4.10 मैकरोनी उत्पादों पर लागू हैं ना कि मैकरोनी (पास्ता) पर। अतः मैकरोनी (पास्ता) को विनियम 2.4.10 में वर्णित मानकों के साथ नहीं रखा जा सकता। वाणिज्यिक रूप से भी पास्ता मैकरोनी उत्पादों से भिन्न है। मैगी पास्ता पूर्ण रूप से पका हुआ एवं खाद्य तेल में तला हुआ उत्पाद है जो मात्र दो मिनट धीमी आंच पर पकाने मात्र से तैयार हो जाता है जबकि विनियम 2.4.10(1) के अनुसार मैकरोनी उत्पादों में मात्र कच्चा उत्पाद रूप में खाद्य शामिल है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के कार्यालय से जारी स्पष्टीकरण दिनांक 05.12.1989 के अनुसार आदेश दिनांक 27.11.1989 द्वारा मैकरोनी उत्पादों को इन्स्टेंट नूडल्स/पास्ता से अलग रखा गया क्योंकि मैकरोनी उत्पाद कच्ची अवस्था में है जबकि पास्ता पूर्ण पकी अवस्था में है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आदेश F.No.10/QA/ ENFORCEMENT Issues/FSSAI-2015 दिनांक 08.06.2015 द्वारा निर्धारित मानक मात्र मैकरोनी श्रेणी के खाद्य उत्पादों पर लागू होंगे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुज्ञापन, परीक्षण एवं मानकों के विषय में FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16(1) के अन्तर्गत एडवायजरी जारी की जाती है। इस सम्बन्ध में मानक मुम्बई उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 2746/2013 के निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि FSSAI को धारा 16(1) के अन्तर्गत उन विषयों के सम्बन्ध में जारी करने का अधिकार नहीं है जो धारा 16(2) अथवा अधिनियम के अन्य उपबन्धों से सम्बन्धित हो। उक्त निर्णय को उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.08.2015 द्वारा यथावत रखा गया है। अतः एडवायजरी दिनांक 08.06.2015 मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर के सम्बन्ध में शून्य है।

उनका कथन है कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.02.2015 में वर्णित अनुसार मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर के टेस्टमेकर पाउच पर विवरण अंकित करना अनिवार्य नहीं माना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि There is no objection in declaring the net weight on the pack of MAGGI Instant Noodles with Tastemaker, as the sachet of Tastemaker inside the pack of MAGGI Instant Noodles is not meant and / or available for retail sale and hence the separate declaration of net weight on the sachet of Tastemaker is not required under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011. मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर एक प्रोपराईटरी फूड है एवं इसे पृथक से रिटेल उत्पाद के रूप में नहीं बेचा जा सकता है। टेस्टमेकर में स्थित समस्त अवयवों की जानकारी मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर के मूल पैकेट पर उपलब्ध है। मूल पैकेट को हटाये बिना टेस्टमेकर पाउच को नहीं निकाला जा सकता है। इस सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा अपील प्राधिकरण राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 0110/2017 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 एवं प्रकरण संख्या 00096/2017 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 तथा प्रकरण संख्या 0090/2018, 0091/2018, 0092/2018 व 0067/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2019 में स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

NABL का लोगो है। भारत का राजपत्र में दिनांक 01.04.2015 से 17.08.2018 तक प्रकाशित NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) की सूची एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.04.2012 से 17.08.2018 तक की सूची में उक्त प्रयोगशाला का नाम नहीं है। खाद्य सुरक्षा अपीलीय प्राधिकरण राजस्थान, जयपुर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) FAC 294 में स्पष्ट है कि जो प्रयोगशालायें NABL अथवा खाद्य प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके द्वारा जारी की जाने वाली विश्लेषण रिपोर्ट को प्रमाणित नहीं माना जायेगा। इसी सम्बन्ध में उन्होने हमारा ध्यान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढवाल (उत्तराखण्ड) द्वारा वाद संख्या 512/2015 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2018 की ओर आकर्षित किया जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि – “इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये प्रयोगशाला का तात्पर्य ऐसी प्रयोगशाला से है जिसे नेशनल एक्कीडेशन बोर्ड के द्वारा अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की गई हो तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त नमूनों का परीक्षण उन्ही प्रयोगशालाओं के द्वारा किया जायेगा जो प्रयोगशाला अधिनियम की धारा 43 में नेशनल एक्कीडेशन बोर्ड के द्वारा प्रत्याहित की गई हों।” अन्त में उन्होने कथन किया कि इस प्रकार अप्रार्थीगण पर लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद व निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त खाद्य उत्पाद न तो सबस्टैण्डर्ड है एवं न ही मिसब्राण्ड। अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को मामले में दोषमुक्त किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने वकील अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रकरण मे झूठा फँसाकर अपने विभाग मे झूठी वाहवाही लूटने के उद्देश्य से परिवाद पेश किया है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में ही प्रार्थी को “Macaroni (Pasta) Maggi” के Manufacturar M/s Nestle India Ltd., मार्फत लक्ष्मी एजेन्सी, प्लाट नम्बर 168 रोड नम्बर 9, वी0के0आई0ए0 जयपुर से कय किए गए बिल/वैन्डर इनवॉईस 937490517 दिनांक 14.5.2015 प्रेषित कर दिया गया था। FSSAI द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को अनुज्ञा पत्र संख्या 12212009000002 दिनांक 31.1.2012 को “किराणा एवं अन्य सामग्री वास्ते” जारी किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 केवलमात्र एक शेल्फ प्रोवाइडर हैं न कि manufacturer या whole seller जो कि end user अर्थात उपभोक्ता तक मेन्यूफेक्चरर का माल सीधे बिक्री में केवल शेल्फ प्रोवाइड करता है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 31.07.15 के अनुसार खाद्य पदार्थ को मिसब्राण्डेड घोशित किया गया है जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उत्तरदायी नहीं है। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि विवादित प्रोडक्ट Macaroni (Pasta) Maggi को उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है व उन्हीं के द्वारा पैक किया जाता है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की नियोक्ता कम्पनी ने अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के Manufactured and packed product को कय कर विकय हेतु अपने मैसर्स रिलायन्स फ्रेश आउटलेट पर शेल्फ स्पेस पर रखा। जांच रिपोर्ट में Macaroni (Pasta) Maggi प्रोपराईटरी फूड न तो किसी प्रकार से मिलावटी होना पाया गया और न ही मानव मात्र के लिए नुकसानदेह होना



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

पाया गया और न ही इसमें कोई कमी पाई गई। Macaroni (Pasta) Maggi प्रोपराईटरी फूड किस प्रकार से मिसब्राण्डेड है, जांच रिपोर्ट और परिवाद में यह अंकित नहीं है एवं उक्त फूड में ऐसा क्या उपस्थित था जिस कारण से उसे मिसब्राण्डेड कहा गया। जांच रिपोर्ट के एक मात्र बिन्दु कि "नमूना आधार मानक कोटे का नहीं है" बताते हुए उक्त नमूने को मिसब्राण्डेड होना कहा गया है जो कि निराधार है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा "M/s Pantaloon Retail Vs Govt. of NCT of Delhi" CRL.M.C 3837/2009 & CRL.M.A 1306/2009 में पारित निर्णय दिनांक 1/11/2012 की ओर आकर्षित किया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्रार्थी ने परिवाद में प्रकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात दिनांक 31.05.2016 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर प्रेषित करने का उल्लेख किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा इसी दिनांक को अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अभियोजन स्वीकृति से पूर्व रिकार्ड पर उपलब्ध इन्वॉईसेस, जवाब पत्र दिनांक 20.7.2015 एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किराणा लाईसेन्स की ओर कोई ध्यान नहीं देकर उपलब्ध दस्तावेजों को अनदेखा किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने प्रस्तुत परिवाद/प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य उत्पाद मैकरोनी (पास्ता-मैगी) की निर्मात्री कम्पनी नेस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत वितरक हैं एवं सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ बिल/कैशमीमो द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाता है। खाद्य विश्लेषक द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मैगी नूडल्स की जांच FSSAI की एडवाइजरी दिनांक 08.06.2015 के आधार पर की गई जो कि खाद्य नमूना लेने की दिनांक के पश्चात जारी की गई है। विभाग द्वारा दिनांक 09.07.2013 को जारी प्रोडक्ट अप्रूवल में भी उक्त खाद्य उत्पाद को परमिटेड किया गया है। मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर एक Proprietary Food है जिसके विनियम 2011 के नियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस तथ्य को साबित नहीं कर पाये हैं कि मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर एक प्रोपराईटरी फूड नहीं है। किसी खाद्य पदार्थ को अमानक घोषित किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके मानक निर्धारित किये गये हों। इस प्रकार प्रोपराईटरी फूड जिसका मानक अधिनियम में विहित नहीं है, उसे अवमानक घोषित नहीं किया जा सकता है। मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर एक प्रोपराईटरी फूड है जिसमें टेस्टमेकर को पृथक से रिटेल उत्पाद के रूप में नहीं बेचा जा सकता है एवं टेस्टमेकर से सम्बन्धित समस्त जानकारी मूल पैकेट पर उपलब्ध है जिसे हटाये बिना टेस्टमेकर पाउच को नहीं निकाला जा सकता है। मामले में खाद्य सुरक्षा अपील प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम 2.2.1 (1), 2.2.2 (1), (4), (6) एवं (7) को किसी प्रकार से उल्लंघन प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.02.2015 में




न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

वर्णितानुसार मैकरोनी (पास्ता) विद टेस्टमेकर के टेस्टमेकर पाउच पर विवरण अंकित करना अनिवार्य नहीं माना है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परिवादी/प्रार्थी पक्ष अप्रार्थीगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 26 एवं 51, 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियमावली 2011 को साबित करने में असफल रहे हैं। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण एवं साबित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2020/ 653-56

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
- 2- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर
- 3- श्री धर्मेन्द्र हन्सराज कोटक (नोमिनी) मैसर्स नेसले इण्डिया लिमिटेड C/o लक्ष्मी एजेन्सी, रोड़ नं0 16, ई-344, डी0वी0के0आई0 ऐरिया जयपुर
- 4- श्री राहुल देवांगन पुत्र श्री रामगुलाम प्रसाद सिंह, मैसर्स रिलायन्स फ्रेश, नसीराबाद रोड़, अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर  
दिनांक : 7.2.20

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

